



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालयः—वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, फौरेस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग प० चम्पारण, बैतिया—845438, बिहार

निविदा सं०— 02/2023-24

Expression of Interest for Registration of Vehicles for Jungle Safari in Valmiki Tiger Reserve West Champarn, Bihar.

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बैतिया के अंतर्गत पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए निजी वाहन मालिक/ होटल, स्टे—होम सचालक/ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्बंधित परिवहन एजेन्सीज से अपने वाहनों का वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बैतिया के कार्यालय से निवधन हेतु आवेदन आमत्रित किया जाता है। आवेदन पर्यटन सत्र प्रारम्भ होने तक समर्पित की जायेगी।

1. वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बैतिया के कार्यालय में कार्य अवधि के समय सम्पर्क स्थापित कर EOI के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष संख्या— 06254—245331 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बैतिया के वेबसाइट www.valmiki-tigerreserve.com पर भी उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन

प० चम्पारण, बैतिया

PR-009548(Envi. & Forest) 2023-24

नशो से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय—वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, फौरेस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग प० चम्पारण, बैतिया—845438, बिहार

निविदा सं०— 02/2023-24

Expression of Interest for Registration of Vehicles for Jungle Safari in Valmiki Tiger Reserve West Champarn, Bihar.

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बैतिया के अंतर्गत पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए निजी वाहन मालिक/ होटल, स्टे—होम सचालक/ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्बंधित परिवहन एजेन्सीज से अपने वाहनों का वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बैतिया के कार्यालय से निवधन हेतु आवेदन आमत्रित किया जाता है। आवेदन पर्यटन सत्र प्रारम्भ होने तक समर्पित की जायेगी।

1. वन संस्करक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बैतिया के कार्यालय में कार्य अवधि के समय सम्पर्क स्थापित कर EOI के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष संख्या— 06254—245331 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बैतिया के वेबसाइट www.valmiki-tigerreserve.com पर भी उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यकारी निदेशक

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन

प० चम्पारण, बैतिया

PR-009548(Envi. & Forest) 2023-24

नशो से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार
कार्यालयः—वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष,
फौरेस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग प० चम्पारण, बेतिया—845438, बिहार

निविदा सं— 02 /2023—24

Expression of Interest for Registration of Vehicles for Jungle Safari in Valmiki Tiger Reserve West Champarn, Bihar.

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अंतर्गत पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए निजी वाहन मालिक/ होटल, स्टे—होम संचालक/ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्बंधित परिवहन एजेन्सीज से अपने वाहनों का वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय से निर्बंधन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पर्यटन सत्र प्रारम्भ होने तक समर्पित की जायेगी।

संबंधित शर्ते निम्नवत है :-

1. वाहन का बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निर्बंधन, वाहन का इनश्योरेंस फिटनेस प्रमाण—पत्र, अधितन रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण बिहार मोटरयान अधिनियम/ नियमावली के अन्य प्रावधानों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
2. वाहन का वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में पंजीयन हेतु वाहन से संबंधित सभी वैधानिक कागजातों की फोटो कॉपी को स्व—अभिप्रापणित कर आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करानी होगी।
3. यह निर्बंधन पर्यटन सत्र अक्टूबर/ नवम्बर, 2023—24 से प्रारम्भ होने वाले पर्यटन सत्र के लिए होगा जो माह जून/ जूलाई 2024 में स्वतः समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में पर्यटन संचालन संबंधी सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में पर्यटन निषिद्ध किये जाने की स्थिति में वाहन का संचालन तदनुसार स्थगित भी किया जा सकता है।
4. वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में कार्य अवधि के समय सम्पर्क स्थापित कर EOI के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष संख्या— 06254—245331 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के वेबसाईट www.valmikitigerreserve.com पर भी उपलब्ध है।

U/2023/24/02
कार्यकारी निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन,
प० चम्पारण, बेतिया।

कार्यालयः—वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष,
फौरेस्ट कॉलोनी, पिउनी बाग पा० चम्पारण, बेतिया—845438, बिहार

Expression Of Interest

1. वाहन स्वामी/एजेन्सी/होटल, होम स्टे स्वामी का नाम एवं पता —
2. सम्पर्क मोबाईल संख्या एवं ईमेल पता —
3. वाहन का मॉडल —
4. वाहन का निर्माण वर्ष —
5. जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त व्यवसायिक वाहन निबंधन प्रमाण—पत्र —
6. वाहन का Insurance प्रमाण —
7. बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन संबंधी प्रमाणक तथा फिटनेस प्रमाण—पत्र —
8. वाहन का प्रदूषण नियंत्रण अनापति प्रमाणक —
9. वाहन का अधतन रोड टैक्स भुगतान प्रमाणक —
10. वाहन चालक का विवरण, आधारकार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेन्स की अभिप्रमाणित प्रति —
11. रास्ते में वाहन में खराबी आने पर उसके बदले दूसरा विभागीय वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का बहन संबंधी सहमति । —

नोटः— 1. EOI प्रपत्र के साथ सभी प्रमाणक की स्वं—अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
2. EOI खोलने के समय सभी प्रमाणकों की मूल प्रति उपस्थित करना होगा।

स्थान

समय

दिनांक

वाहन स्वामी/एजेन्सी का पूर्ण हस्ताक्षर

कार्यालय : वन संरक्षक—सह— क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

Expression Of Interest

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अंतर्गत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु निजी वाहन मालिक/निबंधित परिवहन एजेन्सी/होटल, स्टे-होम संचालकों से पर्यटकों को जंगल सफारी कराने के लिए अपने जिप्सी, टाटा जिनॉन पिकअप, थार, बोलेरों, स्कॉर्पियों या अन्य एल.एम.भी. वाहन के निबंधन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

संबंधित शर्तें निम्नवत हैं :-

1. वाहन का बिहार राज्य में व्यवसायिक परिचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय द्वारा निबंधन।
2. वाहन का परिचालन अवधि के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र।
3. वनपथ पर परिचालन के दौरान छोटे नालों से पार करने अथवा छोटी पहाड़ियों पर चढ़ाई के लिए 4x4 Wheal drive वाहन उपयुक्त होगा। सिंटिग अरेंजमेंट सामने की ओर, सफारी वाहन की भौती को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. वाहन पर वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष का लोगो तथा निबंधन संख्या को लगाना/चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. सामान्यतः टूरिज्म सत्र माह अक्टूबर/नवम्बर, 2023 से जून/जूलाई, 2024 तक होगा। लेकिन वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रशासन द्वारा सीजन के बीच में भी परिस्थितिवस परिचालन बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. वाहन का वन संरक्षक—सह— क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा वाहन से संबंधित सभी वैधानिक कागजातों की फोटो कॉपी को स्व—अभिप्राप्ति कर कार्यालय में आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करानी होगी।
7. निबंधन के समय 5,000/-रु. जमानत राशि **Executive Director Valmiki Vyagrah Araksh Foundation** के पक्ष में बेतिया में भुगतेय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/या पोस्टल आर्डर के रूप में जमा किया जायेगा। जमा राशि को पर्यटन सत्र की समाप्ति पर लौटा दिया जायेगा।
8. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के किसी भी Entry Point वाल्मीकिनगर, गोबर्धना या मैंगुराहां से जंगल सफारी हेतु वाहन का आवंटन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक—सह— क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का निर्णय अंतिम होगा। वाहन स्वामी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं।

9. वाहन का परिचालन वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष द्वारा निर्धारित प्रवेश द्वार एवं टूरिस्ट रुट पर ही होगा। परिचालन रुट में पड़ने वाले विभागीय नाका पर संबंधित वाहन को इंटी दर्ज करनी होगी।
10. जंगल सफारी का परिचालन वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक द्वारा (6:00 पूर्वाहन) सूर्योदय से सूर्यास्त (6:00 अपराह्न) के बीच निर्धारित समय सीमा (अधिकतम दो घंटा) तथा ईको—टूरिज्म संबंधी नियमों के अनुसार होगा। उन नियमों का पालन करने संबंधी शपथ—पत्र वाहन मालिक तथा वाहन चालक द्वारा समर्पित करना होगा।
11. वर्णित शर्तों को उल्लंघन करने की स्थिति में जमानत राशि को जप्त कर लिया जायेगा तथा वाहन स्वामी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
12. जंगल सफारी के समय प्रत्येक वाहन पर एक नेचर गाईड का रहना अनिवार्य होगा जिसका पारिश्रमिक सफारी शुल्क में सम्मिलित रहेगा। नेचर गाईड, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष की सूची से लिये जायेंगे।
13. शुल्क निर्धारण वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष द्वारा किया जायेगा है। सूची के अनुरूप सम्बन्धित वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा भुगतान निर्धारित दर के अनुरूप वाहन मालिक, सफारी एवं नेचर गाईड को किया जायेगा।

प्रति जंगल सफारी निजी वाहन जिप्सी द्वारा सफारी का शुल्क (अधिकतम शुल्क छ: पर्यटकों) व टाटा जिनॉन पिकअप (अधिकतम शुल्क नौ पर्यटकों) के लिए

आरक्ष द्वारा संचालित जंगल सफारी 06 पर्यटकों के लिए।	आरक्ष द्वारा संचालित निजी वाहन टाटा जिनॉन पिकअप से सफारी करने पर 06 पर्यटकों के लिए 2400/- प्रति ट्रिप व 06 पर्यटकों से अधिक होने पर 400/-प्रति पर्यटक प्रति ट्रिप तथा 09 पर्यटकों \times 400=3600/- सभी कर सहित	निजी वाहन/होटल/स्टे होम संचालक का निबंधित वाहन
फाउण्डेशन, पार्क प्रवेश शुल्क, नेचर गाईड, इत्यादि शुल्क	1100/-	1800/-
वाहन मालिक (चालक का मानदेय, ईधन, वाहन मरम्मती एवं अन्य सहित	1300/-	वाहन स्वामी को 06 पर्यटक होने पर 1300/- व 06 से अधिक पर्यटक होने पर प्रति पर्यटक 200/- प्रति ट्रिप के दर से भुगतेय होगा। 9x200=1800
कुल राशि :-	2400.00	3600.00
		800.00

उपरोक्त दर में संशोधन कार्यकारी निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउण्डेशन द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

14. प्रत्येक वाहन में एक पंजी संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक ट्रिप की विवरणी प्रवेश द्वारा, टूरिस्ट रुट, पर्यटकों की संख्या एवं समय लिखी होगी तथा साथ गये वाहन चालक व सफारी / नेचर गार्ड का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
15. परिचालन सम्बन्धी किसी भी Violation के लिए जिम्मेवारी वाहन चालक के साथ-साथ वाहन मालिक की भी होगी।
16. वाहन का रख रखाव, परिचालन खर्च इत्यादि का वहन मालिक को स्वंयं करना होगा।
17. व्याघ्र आरक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वाहन सफारी का निर्धारित शुल्क विभागीय काउन्टर पर जमा करना होगा। प्रवेश द्वारा/नाका पर रसीद दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
18. निबंधित सभी सफारी वाहनों का रोटेशन पर जाने की व्यवस्था/प्रणाली लागू की जायेगी।
19. वाहन चालक का पहचान पत्र बनवाना होगा जिसके लिए विहित प्रपत्र एवं चेक लिस्ट के साथ ड्राईविंग लाईसेंस एवं आधार कार्ड की छाया प्रति अलग से सेवा शुरू करने के पूर्व संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय में देनी होगी।
20. EOI से संबंधी विस्तृत जानकारी वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया के Web site:- www.valmikitigerreserve.com पर भी उपलब्ध है।
21. दूरभाष संख्या—06254—245331 पर भी EOI से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक—सह— क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में कोई भी वाद व्यवहार न्यायालय, बेतिया के प्राधिकार में ही दायर किया जा सकेगा।

*16. May
2016/2017*
कार्यकारी निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउन्डेशन
प०चम्पारण, बेतिया।